

भारत सरकार
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,
10 वीं मंजिल, B ब्लॉक, आयकर शिखर,
10-2-3, ए.सी. गार्ड्स,
हैदराबाद-500 004
टेलीफोन :040-23241427



GOVERNMENT OF INDIA
Office of the Pr.Chief Commissioner of
Income Tax,
10th Floor, B Block, Income tax Towers,
10-2-3, AC Guards, Hyderabad-500004
Tel No:040-23241427
Email:hyderabad.dcit.hq.admin@
incometax.gov.in

फ.सं.प्र.मु.आ.आ./इ.जी.-07/स्थापनाक./ जे.टी.ओ /२०२५-२६
F. No. Pr.CCIT/EG-07/Estt/JTO/2025-26

दिनांक: २१.०८.२०२६
Date: 21.08.2026

आदेश संख्या/ORDER NO: 57 of 2025

विषय: स्थापना – आयकर विभाग, हैदराबाद, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का स्थानान्तरण एवं तैनाती
आदेश – जारी – करने के संबंध में।

Sub: Establishment – I.T. Department, Hyderabad – **Transfers and postings of Junior Translation Officer** - orders – Issue of – Regarding.

एतद्वारा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

The transfers and postings of the following **Junior Translation Officer** is hereby ordered with immediate effect and until further orders.

इंटर स्टेशन/INTER STATION

क्र.सं. SL. NO.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) NAME OF THE OFFICIAL (SRI/SMT/MS)	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED FROM STATION	को स्थानांतरित TRANSFERRED TO OFFICE	से स्थानांतरित TRANSFERRED TO STATION
1	ANKIT JHA	CCIT, VISAKHAPATNAM	VISKHAPATNAM	DD(OL), O/o PCCIT, AP & TG, HYDERABAD	HYDERABAD

2. अपने मु.आ.आ./ आ.म.नि./ प्र.आ.नि/ प्र.आ.आ./ आ.आ./ आ.नि. को उनके प्रभार में तैनात सभी कर्मचारियों के मामले में इस कार्यालय को सूचित करते हुए आवश्यक तैनाती आदेश जारी करना होगा।

The concerned CCIT/DGIT/PDIT/PCIT/CIT/DIT shall make necessary posting in respect of all officials who are posted in their charge without changing the station, under intimation to this office.

3. कार्यालय प्रमुख स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारी को दिनांक 28.08.2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें।

The Head of Office is required to relieve the official under orders of transfer positively by 28.08.2026.

4. स्थानांतरण आदेशाधीन कर्मचारी को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत हैं। यदि कोई छुट्टी आवेदन हो तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।

The official under orders of transfer shall not be granted Earned Leave by the Competent Authority under whom he/she is presently working. Leave applications, if any, may be forwarded to the new place of posting for necessary action.

5. यदि कर्मचारी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता है तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा।

In case, the official is being proposed to be retained beyond the above-mentioned date, the Head of Office shall take prior written approval from the Pr.CCIT, AP & Telangana.

6. कार्यालय प्रमुख को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मचारी को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक **31.08.2026** तक भेजी जाए।

The Heads of Office is directed to send separate compliance report on relieving and joining of official from/to their offices latest by **31.08.2026**

7. यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय में उस पर विचार नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष अपने प्रभार से स्थानांतरित किए गए अधिकारियों के अभ्यावेदन को अग्रेषित नहीं करेंगे।

Official may file his/her representations, if any, only after joining in his/her new postings allotted to him/her and representations filed from the old postings will not be considered. The Head of Department shall not forward representations of the official transferred out from their charge.

8. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह “बी” (अराजपत्रित) एवं समूह “सी” (कारचालकों के अतिरिक्त) की स्थानांतरण नीति के खंड IV के अनुसार जबतक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानांतरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कर्मचारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानांतरण आदेश की अवहेलना में कर्मचारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस कर्मचारी को पिछले पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।

As per clause IV of Transfer Policy for Group ‘B’ (Non Gazetted) & Group ‘C’ Officials (Other than Staff Car Drivers) of Income Tax department, AP &

Telangana Region, unless the transfer order is cancelled either suo-moto or on representation, before the due date of relieving the transferee shall be considered as deemed relieved on the due date given in the transfer order. It is clarified that representation made against the transfer shall not confer any right whatsoever on the official to continue at the previous post in defiance of the transfer order. In view of this, if any of the Official is not relieved by due date, he/she shall be deemed relieved by next working day.

9. प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया गया तथा निपटारा किया गया।

All representations received are considered and stands disposed of.

10. यह आदेश प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This order is issued with the prior approval of the Pr.CCIT, AP & TG, Hyderabad.

Sd/-

(सरिश कुमार इरुकुल्ला / SARISH KUMAR IRUKULLA)

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ),

Commissioner of Income Tax (Admn. & TPS),

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना / Andhra Pradesh & Telangana.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. सम्बन्धित कर्मचारी/ The Officials concerned.
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे), हैदराबाद एवं आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी मुख्य आयकर आयुक्त,/The DGIT(Inv.), Hyderabad and all the CCsIT in AP & Telangana Region.
3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि. / All the Pr.CsIT/Pr.DsIT/CsIT/DsIT in AP & Telangana Region.
4. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख/ All the Head of offices of AP & Telangana Region.
5. सचिव, आई.टी.ई.एफ., आ.प्र. एवं तेलं. इकाई/आई.टी.एस.ई.डब्ल्यू.ए., आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन, हैदराबाद/ The Secretary, ITEF, AP & TG Unit / ITSEWA / ITOBC Association.
6. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हैदराबाद/ ZAO, CBDT, Hyderabad/ Visakhapatnam.
7. स्टॉक फाइल/ निजी फाइल/डाटा बेस फाइल/ Stock file/Personal file/Data Base File.
8. हैदराबाद के प्र.मु.आ.आ. कार्यालय के अधीन सभी अनुभाग/ All sections in O/o-Pr.CCIT, Hyderabad.

P Umamaheswara Rao

(पी. उमामहेश्वर राव/P. Umamaheswara Rao)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(कार्मिक)(ओएसडी)

Income Tax Officer, (HQ)(Personnel)(OSD)

कार्य. प्र. मु.आ.आ., आं. प्र. और तेलंगाना, हैदराबाद

O/o Pr. CCIT, AP & Telangana